संख्या- 227 / 2023 / 1530 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2023**

विषय:- क्षेत्रीय अभिलेखागार, आगरा कार्यालय भवन के किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 128/नौ-372015-16, दिनांक 24 मई, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार क्षेत्रीय अभिलेखागार, आगरा के कार्यालय भवन संख्या- एच0आई0जी0-445, सेक्टर-16, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा के किराये में दिनांक 01 मई, 2022 से 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रू0 34,707/- (रू० चौतीस हजार सात सौ सात मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) संस्कृति निदेशालय / उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार का होगा।
(4) प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ का होगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2205- कलाएवं संस्कृति- आयोजनेत्तर -104- अभिलेखागार -03- राज्य अभिलेख -17- किराया उप शुल्क कर एवं स्वामित्व मद से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 227 /2023 / 1530 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- कोषाधिकारी, लखनऊ/आगरा ।
7- क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी, आगरा।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in